

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265] No. 265] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 28, 2015/वैशाख 8, 1937 NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 28, 2015/VAISAKHA 8, 1937

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 23 अप्रैल, 2015

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल एवं सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2015

सा.का.नि. 326(अ).—िवदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7 की उप-धारा (3), उप-धारा (1) के खंड (ए) तथा धारा 47 की उप-धारा (2) एवं समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.23/2000-आरबी में आंशिक रूप से सुधार के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल एवं सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल एवं सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2015 कहलाएंगे।
- (ii) ये सरकारी राजपत्र में उनकी प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

1896 GI/2015 (1)

2. विनियम में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल एवं सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.23/2000-आरबी) (जिसे इसके बाद 'मूल विनियमावली' कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन किये गए हैं, अर्थात :-

विनियम 3 के उप-विनियम (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

- "(1) मानव संचलित सीमाशुल्क पत्तनों से होनेवाले निर्यातों के मामले में, निर्यातक को माल अथवा सॉफ्टवेयर, चाहे वह भौतिक रूप में हो या किसी अन्य रूप में, के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में नेपाल तथा भूटान को छोड़कर भारत से बाहर किसी भी स्थान पर किए जाने वाले निर्यात के संदर्भ में अनुसूची में दिये गए किसी एक फॉर्म में एक घोषणापत्र प्रस्तुत विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को करना होगा और वह ऐसे विनिर्दिष्ट साक्ष्य पर आधारित होगा जिसमें सही और वास्तविक महत्वपूर्ण जानकारी मूल्य सहित दर्शायी गयी होगी –"
- (i) विनियम 6 में जहां कहीं भी "एसडीएफ़ (SDF)" शब्द का प्रयोग हुआ है, उसे अब हटा दिया गया है।
- (ii) अनुसूची में, निम्नलिखित को हटा दिया गया है।

"फॉर्म एसडीएफ़ (SDF): दो प्रतियों में भरा जाए और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित उन सीमाशुल्क कार्यालयों को घोषित किए गए निर्यातों के पोत परिवहन बिल में संलग्न किया जाए जिन्होने केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पोत परिवहन बिलों के प्रोसेसिंग के लिए इलेक्ट्रोनिक डाटा इंटरचेंज (EDI) प्रणाली की शुरुआत की है।

[सं. फेमा. 342/2014-आरबी]

बी. पी. कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी: मूल विनियमावली 8 मई, 2000 को सा.का.िन. सं. 409 (ई) भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत सरकारी राजपत्र के में प्रकाशित हुई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:-

a)	सा.का.नि. सं. 199 (अ) दिनांक 21 मार्च 2001
b)	सा.का.नि.सं. 473 (अ) दिनांक 8 जुलाई 2002
c)	सा.का.नि. सं. 773 (अ) दिनांक 29 सितंबर 2003
d)	सा.का.नि. सं. 900 (अ) दिनांक 22 नवंबर 2003
e)	सा.का.नि. सं.279 (अ) दिनांक 23 अप्रैल 2004
f)	सा.का.नि. सं.352 (अ) दिनांक 8 जून 2004
g)	सा.का.नि. सं.576 (अ) दिनांक 5 अगस्त 2008
h)	सा.का.नि. सं.896 (अ) दिनांक 17 दिसंबर 2012
i)	सा.का.नि. सं.342 (अ) दिनांक 29 मई 2013
j)	सा.का.नि. सं.362 (अ) दिनांक 27 मई 2014
K)	सा.का.नि. सं.434 (अ) दिनांक 08 जुलाई 2014

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd April, 2015

Foreign Exchange Management (Export of Goods & Services) (Amendment) Regulations, 2015

- **G.S.R. 326(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1), sub-section (3) of Section 7 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No.FEMA.23/2000-RB dated May 3, 2000 as amended from time to time, Reserve Bank of India makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2000, as amended from time to time, namely:
- **1. Short title and commencement.**—(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Amendment) Regulations, 2015.
- (ii) They shall come into force from the date of publication in Official Gazette.
- **2. Amendment to the Regulations.**—In the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2000 (Notification No.FEMA.23/2000-RB dated May 3, 2000) (hereinafter called "the principal regulations"), the following amendments shall be made, namely:-

In Regulation 3, for the Sub-Regulation (1), the following shall be substituted, namely:-

- (i) "(1) In case of exports taking place through Customs manual ports, every exporter of goods or software in physical form or through any other form, either directly or indirectly, to any place outside India, other than Nepal and Bhutan, shall furnish to the specified authority, a declaration in one of the forms set out in the Schedule and supported by such evidence as may be specified, containing true and correct material particulars including the amount representing—"
- (ii) In Regulation 6, the word "SDF", wherever appear, shall be deleted
- (iii) In the Schedule, the following shall be deleted,
 - "Form **SDF**: To be completed in duplicate and appended to the shipping bill, for exports declared to Customs Offices notified by the Central Government which have introduced Electronic Data Interchange (EDI) system for processing shipping bills notified by the Central Government."

[No. FEMA 342/RB-2014]

B. P. KANUNGO, Principal Chief General Manager

Foot Note : The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* G.S.R. No.409 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide*.

- a. G.S.R. No. 199 (E) dated March 21, 2001
- b. G. S. R. No. 473 (E) dated July 8, 2002
- c. G. S. R. No. 773 (E) dated September 29, 2003
- d. G. S. R. No. 900 (E) dated November 22, 2003
- e. G. S. R. No. 279 (E) dated April 23, 2004
- f. G. S. R. No. 352 (E) dated June 8, 2004
- g. G. S. R. No. 576 (E) dated August 5, 2008
- h. G. S. R. No. 896 (E) dated December 17, 2012
- i. G. S. R. No.342 (E) dated May 29, 2013
- j. G. S. R. No.362 (E) dated May 27, 2014
- k. G. S. R. No.434 (E) dated July 8, 2014